न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 143/2016

1. तरसेम सिंह आयु 38 वर्ष
2. खेम सिंह आयु 33 वर्ष

} पुत्रगण श्री बूटासिंह जाति जटसिख निवासीगण गांव व पो. ऑ. गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. बूटासिंह पुत्र गुरदत्त सिंह जाति जटसिख आयु करीब 70 वर्ष, निवासी गांव व पो. ऑ. गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखपाल कौर पुत्र श्री बूटा सिंह पत्नी श्री कुलदीप सिंह, जाति जटसिख निवासी 39 जी.जी. (जवायेवाला) तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
3. वीरपाल कौर पुत्री श्री बूटासिंह पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 9 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. जसप्रीत कौर पुत्री श्री बूटासिंह पत्नी श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी रिसालिया खेड़ा, तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
5. कर्मजीत कौर पुत्री श्री बूटासिंह पत्नी श्री सूबासिंह, जाति जटसिख निवासी बुधरवाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
7. लखविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख, चक 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. बलदेव सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति रामगढ़िया सिख, चक 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188, 92 (ए) आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री दयाराम छिम्पा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.09.2016

वादी तरसेमसिंह सिह द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 22.07.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92 (ए) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादी के दादा स्व. गुरदत्तसिंह पुत्र स्व. श्री कुण्डासिंह के नाम से चक वजीतपुरा, तहसील अबोहर जिला फालिल्का (पंजाब) में कृषि भूमि थी। वादीगण के दादा स्व. श्री गुरदत्त सिंह नें अपनें पुत्र एवम् वादीगण के पिता बूटासिंह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 24 व 25 में 24 बीघा कृषि भूमि अर्जित की इस प्रकार उक्त सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

A13/2

वादीगण के पिता बूटासिंह प्रतिवादी संख्या 1 को अपनें पिता स्व. गुरदत्त सिंह से चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 24 व 25 की भूमि विरास्तन प्राप्त हुई जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है, उक्त मुरब्बा नम्बर 24 व 25 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 बूटासिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 25 की कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया व इससे प्राप्त राशि स्वयं अपनें भरण पोषण के लिये रख ली है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बूटासिंह के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज कागजात राज है, जो कि जद्दी जायदाद होनें से वादीगण का इसमें जनम से हक व हिस्सा बनता है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 बूटासिंह के नाम चक 28 एल.एन.पी. के के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टर भूमि है, तथा वादीगण का उक्त आराजी पर अरसा दराज से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त 3.795 हैक्टर आराजी जद्दी जायदाद होने से वादीगण का इसमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादियां उक्त जद्दी जायदाद की आय से की गई, तथा शादी के बाद भी समय–समय पर इस सम्पत्ति की आय से उन्हे काफि कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता रहा है। वादीगण की चारों बहनें प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अपनें अपनें परिवार में खुश व आबाद है, तथा उन्होनें अपनी स्वेच्छा से अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में परित्याग किया हुआ है। वर्तमान में उक्त आराजी को वादीगण ही काश्त करते है व लगान अदा करते आ रहे है। वादीगण अपनें अधिकारों की करवानें के विधि अनुसार अधिकारी है।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त परिवार की जद्दी आराजी सुयक्त रूप से काश्त करते आ रहे है व आय अर्जित करते रहे है। वादीगण की चारों बहनों प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 क्रमशः सुखपाल कौर, वीरपाल कौर, जसप्रीत कौर व कर्मजीत कौर के द्वारा अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर देनें पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति में से मुरब्बा नम्बर 25 की 2.277 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय करके उसकी राशि स्वयं अपनें भरण–पोषण के लिये रख लेनें के कारण वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 नें संयुक्त परिवार में आपसी सद्भावना व प्रेम बनाये रखनें के लिये आपस में मिल बैठ कर निम्न प्रकार से एक परिवारिक समझौता कर लिया ताकि परिवार में आगे प्रेम व सद्भावना बनी रहे इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 नें आपसी सहमती मौखिक रूप से पैतृक सम्पति का बंटवारा किया हुआ है इस बंटवारा के अनुसार निम्न प्रकार से रकबा प्रत्येक के हिस्सा पर अरसा दराज से काबिज चले आ रहे है। मौखिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादीगण के हिस्सा में दर्ज आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(i) वादी संख्या 1 तरसेम सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि :– चक 28 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 5 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर), 6 से 10 (प्रत्येक 0.126 हैक्टर) कुल 1.895 हैक्टर कृषि भूमि।

(ii) वादी संख्या 2 खेमसिंह के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि :– चक 28 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 6 से 10 (प्रत्येक 0.127 हैक्टर), 11 ता 15 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर), कुल 1.900 हैक्टर कृषि भूमि।

लगातार 3

खण्ड श्री... श्रीगंगानगर

इस प्रकार से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बूटासिंह नें पैतृक सम्पत्ति में से अपनें हिस्से की कृषि भूमि विक्रय करके उसकी समस्त राशी अपनें भरण पोषण के लिये रख ली है, और उक्त बंटवारा अनुसार कृषि भूमि वादीगण को दी गई है व वादीगण इसी अनुसार अपनें नाम से राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज करवानें के अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 09.08.2016 को उपस्थित होकर जबाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री दयाराम छिम्पा अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से जबाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनें जबाब दावा में वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा दावा में चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार डिग्री किया जाता है, हो प्रतिवादी संख्या 1 इससे पूर्णतः सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 नें अपनें जबाब दावा में वाद पत्र को स्वीकार रिते हुए प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 सुखपाल कौर, वीरपाल कौर, जसप्रीत कौर, व कर्मजीत कौर नें पैतृक सम्पत्ति में से अपना-अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया था।

इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के में भी कथन किया है, कि पक्षकरान के मध्य पूर्व में भी पारिवारिक समझौता के द्वारा पैतृक सम्पत्ति का अपनी काश्त की सहुलियत के अनुसार घरू बंटवारा किया गया था व उसी अनुसार आज तक वादीगण अपनें-अपनें हिस्से में आये रकबे पर काबिज चले आ रहे है, जिसको कागजात राज में अमल दरामद करवानें के लिये उक्त अनवानी दावा वादीगण द्वारा दायर किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाब दावा पेश किया गया है हम पक्षकारान पुनः माननीय न्यायालय में पंचायत में हुए राजीनामा अनुसार लिखित में राजीनामा पेश कर रहे है। वादी गण के हिस्से में राजीनामा अनुसार आये रकबे का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) वादी संख्या 1 तरसेम सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि :- चक 28 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 5 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर), 6 से 10 (प्रत्येक 0.126 हैक्टर) कुल 1.895 हैक्टर कृषि भूमि।

(ii) वादी संख्या 2 खेमसिंह के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि :- चक 28 एल.एन.पी. प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 6 से 10 (प्रत्येक 0.127 हैक्टर), 11 ता 15 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर), कुल 1.900 हैक्टर कृषि भूमि।

उपरोक्तानुसार वादीगण के हिस्सा व कब्जा में रकबा आया है, जिस पर वे अरसा दराज से काबिज चले आ रहे है राजीनामा की रूह से उपरोक्तानुसार वादीगण तरसेम सिंह व खेमसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में रकबा अमल दरामद कर दिया जाये जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पूर्णतः सहमत है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.09.2016 को आदेश 1, नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24, 25 की 6.022 हैक्टर में दर्ज खातेदार लखविन्द्र कौर पत्नि श्री गुरमीतसिंह व बलदेवसिंह पुत्र श्री बन्तासिंह जाति रामगढिया सिख निवासीगा चक 22 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर को इस प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 के रूप में पक्षकार बनाये जाने व संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किये जानें का आदेश फरमाया जावें प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नो आबजेक्शन किये जानें पर आदेश 1, नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया।

दिनांक 30.08.2016 को राज पैरोकार/नायब तहसीलदार चुनावढ़ द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

आदेश 1, नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें पर वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया तथा दिनांक 15.09.2016 को वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 का राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री राजवीरसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री दयाराम छिम्पा अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

दिनांक 15.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रतिवादीगण 7 व भी आवश्यक पक्षकार है, जिनके द्वारा चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 2.227 हैक्टर कृषि भूमि क्रय की गई थी जो इसी संयुक्त खाता में शामिल है प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को वादीगण द्वारा चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 24 की 3.795 हैक्टर कृषि भूमि के सम्बंध में किये गये बंटवारा बाबत कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वे इससे पूर्णतः सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 7 व 8 चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 16 ता 24 की कुल 2.227 हैक्टर कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है और वे अपनी भूमि सयुक्त ही रखना चाहते है चक 28 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 15 की कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है। वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित अनुसार वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो इससे प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वे इससे पूर्ण रूप से सहमत है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई तथा वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर दिनांक 15.09.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार चक 28 एल.एन.पी. के के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

A13/5

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद दिनांक 09.08.2016 तथा 15.09.2016 को वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी एवम् प्रतिवादी की अपनी पैतृक सम्पति के सम्बध में राजीनामा में वर्णित भूमि चक 28 एल.एन.पी. के के खाता संख्या 41/20, 24, 48 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 श्री बूटासिंह पुत्र गुरदत्त सिंह जाति जटसिख, निवासी गांव व पो. ऑ. गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण तरसेम सिंह व खेमसिंह पुत्र श्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासीगण गांव व पोस्ट आफिस गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासीगण गांव व पोस्ट आफिस गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 28 एल.एन.पी. प्रथम तहसील श्रीगंगानगर	41/20, 24, 48	24	1 ता 5, (प्रत्येक 0.253 हैक्टर), 6 से 10 (प्रत्येक 0.126 हैक्टर)	1.895 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 श्री खेम सिंह पुत्र श्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासीगण गांव व पोस्ट आफिस गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 28 एल.एन.पी. प्रथम तहसील श्रीगंगानगर	41/20, 24, 48	24	6 ता 10, (प्रत्येक 0.127 हैक्टर), 11 से 15 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर)	1.900 हैक्टर

प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का भाग समझा जावेगा तथा खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार विभाजन स्वरूप पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर